G.C.M.S. — 2021/392

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 OCT 2021	वकील अप्रार्थी के मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सिगहे से पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण चम्पालाल जाट हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं 1/3 स्वयं हाजिर। हाजिर अप्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा की गई। वकील प्रार्थी अमित नाहर भी हाजिर है। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करना चाहते है तथा मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड के मध्य मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार कोई विवाद शेष नहीं है। अतः प्रकरण में जमाशुदा मुआवजा राशि के चैक प्रदान कराये जाने का आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का उज्र-एतराज नहीं होना जाहिर किया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी कम्पनी न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 076/2019(रे.वि.) निर्णय दिनांक 06.04.2021 अन्तर्गत धारा 89(2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थीगण अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 076/2019 निर्णय दिनांक 06.04.2021 अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/833 दिनांक 22.09.2021 से न्यायायल हाजा को प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत रूपये 3264418/- अक्षरे बत्तीस लाख चौसठ हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र के कुल किता 5 अप्रार्थीगण के नाम के चैक जो कि इस पत्रावली में हम किता होकर रिकार्ड पर है को पुनः तहसीलदार निम्बाहेडा को मूल ही लौटाया जावें एवं चैक की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावे एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय आदेश दिनांक 06.04.2021 अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 27 OCT 2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official